

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

:: आ दे श ::


कमांक 142/दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 28 फरवरी, 2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के आदेशानुसार श्री देवदत्त, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश के स्थानांतरण के फलस्वरूप उक्त न्यायालय रिक्त हो जाने एवं श्रीमती अश्विनी सिंह, पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा (नवीन न्यायालय) तथा श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा (नवीन न्यायालय) की पदस्थापना किए जाने के फलस्वरूप स्थानांतरण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2025 से सहमत होते हुए प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण का स्थानांतरण किया जाकर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमांक
1	श्री विजय कुमार मिश्रा, भृत्य	बोर्ड प्यून, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री देवदत्त) (रिक्त न्यायालय) से	बोर्ड प्यून, न्यायालय पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती अश्विनी सिंह) के न्यायालय में (नवीन न्यायालय)	रिक्त पद पर
2	श्री राजेश कुमार बसोर, भृत्य	बोर्ड प्यून, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा (श्रीमती श्रृष्टि चौरसिया) के न्यायालय से	बोर्ड प्यून, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा) के न्यायालय में (नवीन न्यायालय)	रिक्त पद पर

नोट :- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0


पू. कमांक. 1039/दो-11-01/2004(भाग-2),

01 रीवा, दिनांक 28 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग/कार्यालय अनुभाग रीवा।
2. न्यायालय-पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा।
3. न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा।
4. स्टेनो टू, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5. संबंधित कर्मचारीकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. डी0एस0ए0/एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच.आर.एम.एस./ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0